

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल ।
आपराधिक वाद संख्या 793/2022
राज्य बनाम माधव अग्रवाल आदि

दिनांक 09.08.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्तगण माधव अग्रवाल, सुरेन्द्र थापा एवं हुकुम सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना कागज संख्या 48ब प्रस्तुत। सुना। न्याय हित में केवल आज के लिए स्वीकृत। अन्य अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी उपस्थित। गवाह उपस्थित। शेष मुख्य परिक्षा एवं जिरह पी0 डब्लु01 श्री विजय कुमार की अंकित की गई।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 22.08.2023 को पेश हो।

(मौ0 याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।